कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023/ 1988 दिनांकः– 23 जनवरी, 2023

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी 2023 दोपहर पश्चात् 04:30 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1	::	खसरा संख्या 188/3 से 188/5 ग्राम आंगणवा का पहुंच मार्ग के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 मे से 60 गुणा 139 फीट भूमि पहुंच मार्ग हेतु उपलब्ध करवाने के संबंध में।	ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 मे से 60 गुणा 139 फीट भूमि पहुंच मार्ग हेतु उपलब्ध करवाने के संबंध में।

आवेदित प्रकरण मे पहुंच मार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 98 मे से प्राप्त हो रहा है। प्रकरण मे जोन पटवारी/भू.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के पास स्थित खसरा संख्या 188/1, 188/11, 188/2, 188/10 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ले–आउट प्लान 60 फीट सडक पर अनुमोदित है। खसरा संख्या 98 की कुल भूमि मे से 60 गुणा 1380 फीट अर्थात् 4.15 बीघा भूमि रास्ते के लिए समर्पित की जा चुकी है। जिसके लगते हुए 60 गुणा 139 फीट भूमि और समर्पित करने से आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। मौके पर डामर सडक बनी हुई है जो किसी अन्यत्र काम नही आ रही है। संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 27/02/2021 के अनुसार 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित कर पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध मे दिनांक 02/01/2023 को 15 दिवस का आपति/सुझाव हेतु आम सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण की वेबसाईट पर किया जा चुका है, निर्धारित समयावधि मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः प्रकरण मे आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, पर पहुंच मार्ग हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासीय योजना खसरा नं. 188/3 से 188/5 ग्राम आंगणवा को प्राधिकरण के खसरा नं. 98 में से 60 गुणा 139 फीट भूमि रास्ते के लिए दर्ज करते हुए पहुॅच मार्ग दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर के नाम रहेगा एंव विकासकर्ता उक्त भूमि की आरक्षित दर से राशि जमा करवायेगा आगे भी 60 फीट सड़क रखी जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 2	::	लोकेश एज्यूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी को विद्यालय हेतु रामराज नगर सेक्टर 2 ग्राम चौखा में भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियो के अनुसार कोई तथ्य नही छुपाया गया है।	लोकेश एज्यूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी को विद्यालय हेतु रामराज नगर सेक्टर 2 ग्राम चौखा में भूमि की अभिषंशा की गई।

लोकेश एज्यूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी, जोधपुर के ग्राम चौखा में रामराज नगर सेक्टर 2 में शैक्षणिक संस्थान एवं छात्रावास हेतु वर्तमान आरक्षित दर (सशुल्क) भूमि आवंटित करने की मांग की है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार :– पत्रावली के पैरा सं. 31/एन में अंकित मौका रिपोर्ट अनुसार पूर्व दिशा में मौके पर 3276 वर्गगज माप का भूमि उपलब्ध है एवं मौका रिक्त पाया गया।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार :– योजना में विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि के आवंटन पर विचार किया जा सकता है। पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर आवंटन नही किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार :– ग्राम चौखा के खसरा सं. 72, 65, 627, 69, 70, 71, 623, 624, 626 से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण पर दिनांक 11.11.2021 को उजर एतराज हेतु वेबसाईट पर अपलोड किया गया जिसकी समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दु सं. 2.9 के क्रम स. 1 अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय छोडकर 6000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु लिखा गया है।

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता अनुसार मौके पर 3276 वर्गगज अर्थात 2739 वर्गमीटर भूमि रिक्त है अतः 2739 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3	::	आवेदक प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुन राम द्वारा ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन पर भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

क.सं.	प्रभारी अधिक़ारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मेंअभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियोंके अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गयाहै।	आवेदक प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम द्वारा ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन पर भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

Scanned with CamScanner

आवेदक श्री प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम भील द्वारा राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 रकबा 2193 वर्गमीटर का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित शाखाओं रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

पटवारी/अमीन की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 में आवेदित भूमि व सडक के मध्य खसरा संख्या 05 प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमि है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 05 जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का रकबा 150.70 वर्गमीटर का आवंटन करने का निवेदन है।

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02/11/2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण को भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आगामी बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के निर्णय की पालना मेंप्रार्थीको 150.70 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण भूमि एवंसम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में नगरीय विकास विभाग ,राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(15)नविवि/जयपुर/2021, जयपुर दिनाकं 27.02.2021 की पालना में 15 दिवस की आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी कर प्रकरण निमयानुसार विचारार्थ/ निर्णयार्थ अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

जे 23/1/23

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/1989-94 दिनांकः- 23 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः-

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त-जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव/प्रभारी अधिकारी (भूमि)/प्रभारी अधिकारी ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

जे

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with CamScanner